



कार्यालय जोधपुरविकासप्राधिकरण, जोधपुर

रेलवेअस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईटjodhpurjda.org Phone No 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2023/ 5424

दिनांक: 9/01/2023

:-कार्यवाही विवरण:-

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक प.17(1) नविनि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति के जोन 04 बैठक दिनांक 09.01.2023 को उपायुक्त (जोन 04) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई जिसमें उपस्थित सदस्य/अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार है:-

एजेण्डा संख्या	विषय
01.	राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 763 के भूखण्ड संख्या 6 बनाप 1498.36 वर्गगज एवं भूखण्ड संख्या 7 बनाप 1388 वर्गगज कुल बनाप 2886.36 वर्गगज का पुनर्गठन के संबंध में।

- उक्त मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
- प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की सम्मत जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श किये जाने तथा आवेदकों से मूल पट्टा विलेख प्राधिकरण के पक्ष में समर्पित करवाये जाने व जोन स्तर से पुनर्गठित भूखण्डों के नवीन पट्टा विलेख जारी किए जावें। साथ ही प्रकरण में जरिये आम सूचना प्रकाशित कर विज्ञप्ति आमंत्रितकी जावें तथा यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो प्रकरण पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावें।
- प्रार्थी से लीज हेतु राशि रु. 71455/- वसूल की जानी है।

एजेण्डा संख्या	विषय
02.	राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 75/17 के भूखण्ड संख्या 75/17-बी बनाप 100 वर्गगज एवं भूखण्ड संख्या 75/17-सी बनाप 100 वर्गगज का उपविभाजन अनुमोदन के संबंध में।

- उक्त मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
- प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की सम्मत जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श किये जाने तथा आवेदकों से मूल पट्टा विलेख प्राधिकरण के पक्ष में समर्पित करवाये जाने व जोन स्तर से उपविभाजित भूखण्डों के नवीन पट्टा विलेख जारी किए जावें। साथ ही प्रकरण में जरिये आम सूचना प्रकाशित कर विज्ञप्ति आमंत्रितकी जावें तथा यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो प्रकरण पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावें।

एजेण्डा संख्या	विषय
03.	राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 186, 186/1 में ई.डब्ल्यू.एस. व एल.आई.जी. एवं इन्फोर्मल मार्केट का ले-आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

- इन्फोर्मल मार्केट, ई.डब्ल्यू.एस., एवं एल.आई.जी. का ले-आउट प्लान अनुमोदित किया गया उक्त अनुमोदन अनुसार पट्टे दिये जाने हैं।

सहायक नगर विकास प्राधिकरण
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

अधिसूचना अभियान (जोन 4)
जोन पश्चिम
मो. नि. प्राधि. जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

तहसिलदार (प.पंचम)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

2. उक्त ब्लॉक में वर्तमान में प्लानिंग आवेदक द्वारा कुल संख्या में इन्फोर्मल मार्केट- 08 (151-158), ई.डब्ल्यू.एस.-16 (132-139, 144, 159-165), एल.आई.जी. -10 (140-143, 145 -150) भूखण्ड इस प्लानिंग में प्रस्तावित की गई है।

कुल रकबा - इन्फोर्मल मार्केट- 195.55 वर्गगज

ई.डब्ल्यू.एस.- 41.69 वर्गगज

ई.डब्ल्यू.एस. ओर एल.आई.जी. - 1755.41 वर्गगज

एजेण्डा संख्या	विषय
04.	राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 750 का पूर्व में अनुमोदित ले-आउट ई.डब्ल्यू.एस. व एल.आई.जी. को आवासीय प्रयोजनार्थ जारी करने के संबंध में।

1. ई.डब्ल्यू.एस. व एल.आई.जी. के स्थान पर आवासीय श्रेणी के भूखण्ड आरक्षित कर आवासीय पट्टे जारी करने का निर्णय लिया गया।
2. प्रार्थी द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. व एल.आई.जी. हेतु आरक्षित ब्लॉक में छोटे-छोटे भूखण्डों के स्थान पर 3 सामान्य श्रेणी के पट्टे दिये जावे।

एजेण्डा संख्या	विषय
05.	राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 75/18 के भूखण्ड/खसरा संख्या 75/18 कुल बनाप 2027.78 वर्गगज में से भूखण्ड/खसरा संख्या 75/18 का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा बनाप 1000.06 वर्गगज का उपविभाजन के संबंध में।

1. उक्त मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
2. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की सम्मत जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
3. समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श किये जाने तथा आवेदकों से मूल पट्टा विलेख प्राधिकरण के पक्ष में समर्पित करवाये जाने व जोन स्तर से उपविभाजित भूखण्डों के नवीन पट्टा विलेख जारी किए जावें।

तहसीलदार (जोन 04) सहसहायक नगर नियोजक (जोन 04) अधिशाषी अभियन्ता (जोन 04) उपायुक्त (जोन 04)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण
क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./को.वि./2023/5425-30 दिनांक: 09/07/2023
प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त जोन 04, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशाषी अभियन्ता पूर्व, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार जोन 04, जो.वि.प्रा., जोधपुर।

सहायक नगर नियोजक (जोन 04)
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर